



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230852
CG-DL-E-01112021-230852

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4169]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 4169]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4530(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग एवं 5ड के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा पिंपरी चिंचवाड शिक्षा न्यास, पुणे (पैन: AAATP3981F) के संरक्षण के अधीन 'पिंपरी चिंचवाड शिक्षा इंजीनियरिंग कालेज' को वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु "विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्थान" श्रेणी के अधीन आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग एवं 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजन हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि (अर्थात् पूर्व वर्ष 2021-22) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष (वर्षों) 2022-23 से 2027-28 तक लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 128/2021/ फा. सं. 203/08/2020/आईटीए-II]

रविन्दर मैनी, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन:— प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2021

S.O. 4530(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves ‘**Pimpri Chinchwad College of Engineering**’ under the aegis of **Pimpri Chinchwad Education Trust, Pune (PAN:AAATP3981F)** under the category “**University, College or Other Institution**” for Scientific Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall apply with effect from the date of publication in the Official Gazette (i.e from the Previous Year 2021-2022) and accordingly shall be applicable for Assessment Year(s) 2022-23 to 2027-28.

[Notification No. 128/2021/ F. No. 203/08/2020/ITA-II]

RAVINDER MAINI, Director

Explanatory Memorandum:—It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.